

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग

DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,

खनिज भवन/Khanij Bhawan, उदयपुर/Udaipur-313001.

दूरभाष/Phones: 2415091-95, फेक्स/ Fax: (0294)-2410526

क्रमांक: निखामू/अज/सीसी-5/प.1(1) 2/03/ 1184 दिनांक: 21-05-2009

आदेश

श्री सीताराम चौधरी पुत्र श्री हंसराज चौधरी निवासी-अजमेर के पक्ष में निदेशालय आदेश क्रमांक: निखामू/अज/सीसी-5/प.1(1)2/03/3523 दिनांक: 9-10-06 के द्वारा खनिज फैल्सपार, क्वार्टज, मायका का खनन पट्टा निकट ग्राम उगाई (उगान) तहसील केकड़ी जिला-अजमेर में क्षेत्र 5.00 हैक्टेयर हेतु संविदा पंजीयन की तिथि से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा निष्पादन से पूर्व स्वीकृत क्षेत्र के खसरा संख्या: 1005 के खातेदार द्वारा ऐतराज किये जाने पर आवेदक द्वारा क्षेत्र को कम कर 4.8 हैक्टेयर का संशोधित नक्शा एवं विवरण सूची प्रस्तुत की गई। जिस पर निदेशालय के पत्र क्रमांक: 545 दिनांक 23-1-09 से आवेदक को अनुमोदित माईनिंग प्लान/प्रोगेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर के पत्र क्रमांक: सं. 584(4)(3)(1082)/2009-क्षेखानि- अजम दिनांक 27-3-09 द्वारा मोडीफाईड माईनिंग प्लान/प्रोगेसिव माईन क्लोजर प्लान क्षेत्र 4.8 हैक्टेयर का अनुमोदन किया जा चुका है।

अतः निदेशालय के आदेश क्रमांक: निखामू/अज/सीसी-5/प.1(1) 2/03/ 3523 दिनांक 9-10-06 से जारी स्वीकृति आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. स्वीकृति आदेश के पेरा संख्या: 3 में वर्णित बिन्दु संख्या: xi में क्षेत्र 5.00 हैक्टेयर के स्थान पर 4.8 हैक्टेयर पढ़ा जावे।

शेष शर्तें पूर्ववत रहेगी तथा संविदा का निष्पादन इस आदेश की तिथि से दो माह की अवधि में कराना होगा।

निदेशक,
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर।

क्रमांक: निखामू/अज/सीसी-5/प.1(1) 2/03/1185-1195 दिनांक: 21-05-2009
प्रतिलिपि निम्नलिखित को निदेशालय समसंख्यक आदेश क्रमांक: 3523-3533 दिनांक
9-10-06 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खनि अभियन्ता, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक 5375 दिनांक 23-08-2008 के संदर्भ में।
2. श्री सीताराम चौधरी पुत्र श्री हंसराज चौधरी निवासी-उगाई पोस्ट केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज0)।
3. महा नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, प्रथम मंजिल, डी. ब्लोक सिविल लाईन, इन्दिरा भवन, नागपुर।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर जोन, जयपुर।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त जयपुर।
7. जिला कलक्टर, अजमेर।
8. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10. अधीक्षण भूवैज्ञानिक (रिमोट सेंसिंग), के.का., उदयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.॥)